

1

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी- हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 53/2019

पंजीयन दिनांक 09.05.2019

- (1). जगन्नाथ पिता कालू जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (2). रतनी पत्नि बरदा जाति जाट निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलान्तगण

बनाम



- (1). गिरिश पिता मनोहरलाल जाति आहूजा, निवासी आहूजा आईस फेक्ट्री किला रोड, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (2). सुगना पत्नि रतनलाल खटीक निवासी खटीक मोहल्ला चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (3). नारायणलाल पिता बरदा जाट निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (4). किशनलाल पिता छोगा जाट निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (5). गीतादेवी पत्नि भैरूलाल सुथार निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (6). सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (7). शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अतर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 1955

विरुद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 198/2016 निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 15.07.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). नागेन्द्र सिंह झाला- अधिवक्ता अपीलांत

(2). अभिषेक गर्ग- रेस्पोडेन्ट संख्या 1

(3). बसन्तीलाल पोखरना- रेस्पोडेन्ट संख्या 5

(4). पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 6


राजस्थान अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 21.06.2022

9

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि वादी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 से 5/ प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 एवं 4 से 6 व अपीलांट संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 3 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का कश्मोर के खाता संख्या 153 एवं 154 में अंकित आराजी संख्या 875मी., 866मी., 867मी., 864मी., किता 04 रकबा 3.92 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें वादी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का 1466/3920 हक हिस्सा निहित है अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अन्त में वादी द्वारा उक्त वर्णित कृषि आराजीयात का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2016 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार फर्द बंटवाड़ा तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया।


अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने यह अपील दिनांक 24.04.2019 को इस न्यायालय में म्याद बाहर प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया व पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी का क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई है व राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हक व हिस्से के अनुसार पारित की गई है परन्तु प्राथमिक निर्णय व डिक्री के मुताबिक कमिश्नर के द्वारा बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसमें अपीलांट की कृषि आराजीयात की सिंचाई हेतु जो कुआं अवस्थित है, उस कुएं पर आने-जाने के रास्ते को भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जिससे हक व हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा सूचि तैयार की जाकर अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाने हेतु प्राथमिक डिक्री को यथावत रखते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से दी गई मौखिक सहमति के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारान के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हक व हिस्से के अनुसार प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिससे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ विचारण



राजस्थान अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय के द्वारा विधि अनुसार पारित की है। प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संवहनीय नहीं होने से मौखिक सहमति के आधार पर निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांतगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 198/2016 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 यथावत रखी जाती है। निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय एवं डिक्री की सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे।




(हरि सिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सिवनी (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)